



Neutral Citation No. - 2026:AHC:55421

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक अपील संख्या - 1841/2026

आशिफ

.....अपीलकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

अपीलकर्ता(ओं) के अधिवक्ता

: कृष्ण प्रताप यादव

प्रतिवादी(ओं) के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 50

माननीय न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव

1. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के विद्वान ए.जी.ए. की दलील सुनी और अभिलेख का अवलोकन किया। विद्वान ए.जी.ए. ने बताया कि विपक्षी संख्या 2 को नोटिस तामील कराया जा चुका है।

2. यह आपराधिक अपील अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 14-ए (2) के तहत अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, एससी/एसटी (पी.ए.) अधिनियम, संभल, चंदौसी द्वारा दिनांक 8.12.2025 को जमानत आवेदन संख्या 2923/2025 में पारित आदेश को रद्द करने और उसे मुकदमा अपराध संख्या 85/2024 में धारा 376डी आईपीसी और धारा 3(2) (5) एससी/एसटी अधिनियम, पुलिस स्टेशन- चंदौसी, जिला संभल के तहत रिहा करने के लिए दायर की गई है।

3. अभियोजन पक्ष के अनुसार, अपीलकर्ता के खिलाफ आरोप है कि उसने पीड़िता को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया।

4. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि अपीलकर्ता-आवेदक को इस मामले में झूठा फंसाया गया है। अपीलकर्ता ने कथित अपराध नहीं किया है। अपीलकर्ता का कथित घटना

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



से कोई संबंध नहीं है। अपीलकर्ता पर झूठे आरोप लगाए गए हैं। अपीलकर्ता के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। कथित घटना की एफआईआर 15 दिन विलंबित है और इस विलंब का कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं है। एफआईआर के अनुसार, पीड़िता की आयु लगभग 19 वर्ष है और वह बालिग है। चिकित्सा रिपोर्ट अभियोजन पक्ष के बयान का समर्थन नहीं करती है। यह कहा गया है कि ट्रायल कोर्ट द्वारा 1.7.2025 को सूचनादाता का बयान दर्ज किया गया था, जहां उसे पीडब्ल्यू-1 के रूप में परीक्षित किया गया था। उसने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया है। पीड़िता पीडब्ल्यू-2 का बयान भी पूरा हो चुका है, जिसमें उसने कहा है कि वह अपनी मर्जी से सह अभियुक्त अहमद के साथ दिल्ली गई थी, उसके साथ यात्रा की और कुछ समय तक वहां रही, जिससे पता चलता है कि पीड़िता सहमति देने वाली पक्ष है। अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आगे यह तर्क दिया है कि सह अभियुक्त राशिद को दिनांक 25.11.2025 के आदेश द्वारा आपराधिक अपील संख्या 9704/2024 में पहले ही जमानत दी जा चुकी है, इसलिए अपीलकर्ता भी समानता के आधार पर जमानत का हकदार है। अपीलकर्ता 13.6.2024 से जेल में है।

5. दूसरी ओर, विद्वान एजीए ने जमानत की अर्जी का विरोध किया है।

6. मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए परस्पर विरोधी तर्कों पर विचार किया है और आक्षेपित आदेश सहित संपूर्ण रिकॉर्ड का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है।

7. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, आरोपी की संलिप्तता और सजा की गंभीरता को देखते हुए, न्यायालय का मत है कि अपीलकर्ता ने जमानत के लिए मामला सिद्ध किया है।

8. तदनुसार, अपील स्वीकार की जाती है और अपीलकर्ता की जमानत याचिका खारिज करने का आक्षेपित आदेश रद्द किया जाता है।

9. उपरोक्त मामले में अपीलकर्ता **आसिफ** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप व्यक्तिगत मुचलका और दो जमानती प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अलावा, रिहाई आदेश जारी करने से पहले जमानतदारों का सत्यापन किया जाए।

(i) अपीलकर्ता विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष के साथ सहयोग करेगा।

अस्वीकरण: “अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



- (ii) अपीलकर्ता विचारण के दौरान साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
 - (iii) अपीलकर्ता अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें डराएगा नहीं।
 - (iv) अपीलकर्ता कोई अपराध नहीं करेगा।
 - (v) अपीलकर्ता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से रोकने या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करने के लिए कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा।
 - (vi) अपीलकर्ता प्रत्येक निर्धारित तिथि पर स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से ट्रायल कोर्ट के समक्ष उपस्थित रहेगा।
 - (vii) जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों, तो अपीलकर्ता साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित तिथियों पर स्थगन की मांग नहीं करेगा।
 - (viii) अपीलकर्ता धारा 313 सीआरपीसी के तहत बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित तिथियों पर स्वयं अवर न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा।
10. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, अभियोजन पक्ष सक्षम न्यायालय के समक्ष जमानत रद्द करने का आवेदन देने के लिए स्वतंत्र होगा।

(शेखर कुमार यादव, न्यायमूर्ति)

18 मार्च, 2026

ए.

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"